



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235217
CG-DL-E-19042022-235217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1786]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2022/चैत्र 29, 1944

No. 1786]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2022/CHAITRA 29, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

का.आ. 1876(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर, आयु 23 वर्ष, वर्ष 1999 में पैदा हुआ, पुत्र, गुलज़ार अहमद डार निवासी खरबतपोरा, रत्नीपोरा, पुलवामा, आतंकवादी संगठन अल बद्र के संबद्ध सदस्यों में से एक है;

और अल बद्र उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 26 के अधीन एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार वैध दस्तावेजों के आधार पर पाकिस्तान गया था जहां वह आतंकवादी संगठन अल बद्र में सम्मिलित हो गया था और आतंकवादी संगठन अल बद्र का एक सक्रिय आतंकवादी और कमांडर रहा है और तब से, वर्तमान में पाकिस्तान से संचालन कर रहा है;

और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार युवाओं को उक्त संगठन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर रहा है और जब से वह पाकिस्तान गया है, अल बद्र के आतंकी क्रियाकलापों को वित्तपोषित कर रहा है;

और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में ज़मीनी कार्यकर्ताओं से विस्फोटकों की बरामदगी के मामलों में; जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 18 नवंबर, 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर ग्रेनेड हमले में, युवाओं को आतंकी संगठन अल बद्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करने में, संलिप्त पाया गया है;

और केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"38. अर्जुमंद गुलज़ार डार उर्फ हमज़ा बुरहान उर्फ डॉक्टर"

[फा. सं. 11034/18/2021/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची को अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 1857 (अ). तारीख 19 अप्रैल, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

S.O. 1876(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor, aged 23 years born in the year 1999, son of Gulzar Ahmed Dar, resident of Kharbatpora, Ratnipora, Pulwama, is one of the associate members of the terror outfit Al Badr;

And whereas, Al Badr is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 26;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar went to Pakistan on valid documents where he joined terrorist outfit Al Badr and has been an active terrorist and commander of terrorist outfit Al Badr and since then, currently operating from Pakistan;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar has been motivating youth to join the said outfit and has been funding the terror activities of Al Badr, ever since he went to Pakistan;

And whereas, the said Arjumand Gulzar Dar has been found involved in cases of recovery of explosives from the over ground workers in Pulwama, Jammu and Kashmir; Grenade attack on Central Reserve Police Force personnel on the 18th November, 2020 in Pulwama, Jammu and Kashmir; motivating youths to join militant ranks in terror outfit Al Badr;

And whereas, the Central Government believes that Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor is involved in terrorism and the said Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 37 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“38. Arjumand Gulzar Dar @Hamza Burhan @Doctor”.

[F. No. 11034/18/2021/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1857 (E)., dated the 19th April, 2022.